



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
पत्रांक-3644 / 12-1 दिनांक, चकराता 17 अप्रैल 2018

सेवा में,

विंध्या टेलीलिंक्स लि०,
ई-237, फेज-8बी, मोहाली,
चण्डीगढ़।

विषय-

जनपद-देहरादून के अन्तर्गत कोरुवा से बैराटखाई (कुल दूरी-31.00 किमी०) (0.93 है०) तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु (लगभग 35 पोल/किमी०) विंध्या टेलीलिंक्स लि० (Vindhya Telinkes Limited) को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ -

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-3287 दि० 26.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण में संदर्भित पत्र से प्राप्त उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण एवं वन अनुभाग-4, देहरादून की पत्र सं०-255/एक्स-4-18/1(50)/2018 दि० 16.03.2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं०-1 के अनुपालन में, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 100 पौधों का 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय	-	-	66,700.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेंट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-2 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-3644 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।